रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 337] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 1, 1985/श्रावण 10, 1907
No. 337] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 1, 1985/SRAVANA 27, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अगस्त, 1985

सं. 181/85 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

सा. का. नि. 623 (अ):—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वर्णकारों या चादी की चीजें बनाने वालों द्वारा विनिर्मित तथा केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची का

मद सं. 68 के अंतर्गत सम्मिलित, सोने या चांदी या दोनों से बने हुए आभूषणों और तत्समान वस्तुओं को, चाहे वे रत्न या बहुमूल्य पत्थरों (असली या कृत्रिम या मोतियों (असली, कल्चरी या नकली) अथवा उन सबसे या उनमें से किसी से, जड़े हुए हों या नहीं उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन उन पर उद्ग्रहणीय सम्पूर्ण उत्पाद-शुल्क से छूट देती है।

[सं. 181/85-सीई (फा. सं. 13/120/85 सी. एक्स-I)]
बी० के. जैन, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st August, 1985

No. 181|85—CENTRAL EXCISES

G.S.R. 623(E).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby exempts ornaments and the like articles made of gold or silver or both, whether or not set with stones or gems (real or artificial), or with pearls (real, cultured or imitation), or with all or any of them, and manufactured by goldsmiths or silversmiths and falling under Item No. 68 of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944), from the whole of the duty of excise leviable thereon under section 3 of the said Act.

[No. 181|85-CE (F. No. 13|120|85-CX.I)]
B. K. JAIN, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1985